



प्रेस नोट, दिनांक 08.10.2026

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव

लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा लड़की को भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 08.10.2026 को उ0नि0 श्री जयप्रकाश मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना अचलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 298/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त तौफीक उर्फ इरफान पुत्र शाकिर उम्र करीब 21 वर्ष निवासी म0नं0 88/2 काशीराम कालोनी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को कोरारी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

तौफीक उर्फ इरफान पुत्र शाकिर उम्र करीब 21 वर्ष निवासी म0नं0 88/2 काशीराम कालोनी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

01. उ0नि0 श्री जयप्रकाश
02. का0 गोपीचन्द
03. का0 अनुराग कुमार





प्रेस नोट, दिनांक 08.10.2026

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव

लूट के दो आरोपी गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.10.2026 को थाना पुरवा क्षेत्रान्तर्गत मंगतखेड़ा के पास माया पत्नी पंकज लोध, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी मझखोरिया, थाना पुरवा, जनपद उन्नाव, अपने खेत पर जा रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल संख्या UP32 RC 2041 पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके गले में पहना लॉकेट(पीली धातु) छीनकर भाग गए। इसके उपरान्त समय करीब 17.25 बजे थाना पुरवा क्षेत्रान्तर्गत लंगरपुर के पास शैल कुमारी पत्नी सूरज लोध, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी कुढ़हेरी, थाना पुरवा, जनपद उन्नाव बाजार जा रही थीं। उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा उनका भी लॉकेट(पीली धातु) छीनने का प्रयास किया गया, परंतु लॉकेट टूटकर नीचे गिर जाने के कारण प्रयास असफल रहा। शोर मचाने पर मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों द्वारा दोनों व्यक्तियों को दौड़ाकर पकड़ लिया गया तथा थाना पुरवा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना पुरवा पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर अभियुक्तगण 1.दीपक यादव पुत्र राकेश यादव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम शिवसिंह खेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव 2.शिवम यादव पुत्र शिवकुमार यादव उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम पडुआखेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से दो अदद लॉकेट बरामद किये गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुरवा पर मु0अ0सं0 334/2026 धारा 309(4)/309(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा दिनांक 07.10.2026 को थाना अजगैन में की गई लूट (मु0अ0सं0 432/26 धारा 309(4) बीएनएस) को भी स्वीकार किया गया, जिससे संबंधित लॉकेट अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दीपक यादव पुत्र राकेश यादव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम शिवसिंह खेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव
2. शिवम यादव पुत्र शिवकुमार यादव उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम पडुआखेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव

बरामदगी-

1. 02 अदद लॉकेट पीली धातू के बरामद
2. 01 अदद मोटरसाईकिल नं0 UP32RC2041 बरामद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक यादव-

1. मु0अ0सं0 432/2026 धारा 309(4) बी.एन.एस थाना अजगैन जनपद उन्नाव

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवम यादव-

- 01.मु0अ0सं0 20/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना असोहा जनपद उन्नाव
- 02.मु0अ0सं0 432/2026 धारा 309(4) बी.एन.एस थाना अजगैन जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार
2. का0 सूर्यप्रताप सिंह
3. का0 अंशूल सिंह
4. का0 राकेश कुमार
5. का0 राज





प्रेस नोट, दिनांक 08.10.2026

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव

फ्रॉड की गई 23000 /- रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गई रिफण्ड।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा फ्रॉड की गई 23000 /- रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में रिफण्ड कराई गई।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.10.2026 को थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव में आवेदक नीलेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी तकिता पाटन कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा ए.पी.के. फाइल पर क्लिक करने के कारण स्वतः खाते से रुपये कट जाने के विषयक प्रार्थना पत्र दिया गया है। जिसकी शिकायत संख्या 23110260196023 है। आज दिनांक 08.10.25 को थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा आवेदक की धनराशि 23000/- रुपये आवेदक को वापस करायी गयी।

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक चन्द्र कान्त मिश्र
2. महिला आरक्षी सोनिया शर्मा,
3. आरक्षी ऐलिस श्रीवास





प्रेस नोट, दिनांक 08.10.2026

थाना साइबर क्राइम, जनपद उन्नाव

गलत खाते में ट्रांसफर हुई 1400000/- (चौदह लाख रुपये) की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में करायी गयी रिफण्ड ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा गलत खाते में ट्रांसफर हुई 1400000/- (चौदह लाख रुपये) की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में रिफण्ड करायी गयी।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.10.2026 को आवेदक विशाल कुमार साहू पुत्र वासुदेव निवासी राम प्रसाद खेड़ा, जपसरा, जनपद-उन्नाव द्वारा कुल 1400000/- (चौदह लाख) रुपये की धनराशि किसी दूसरे गलत खाते में ट्रांसफर कर दी गयी थी । साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद उन्नाव की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 08.10.2026 को फ्राड ट्रांजेक्शन को सम्बन्धित वालेट/बैंक से जरिये उचित माध्यम पत्राचार करके आवेदक के खाते में भेजी गयी धनराशि को होल्ड कराकर सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के मूल खाते में वापस करायी गयी ।

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

1. प्र०नि० श्री राजेश यादव ।
2. निरी० श्री राजेश कुमार मिश्रा ।
3. मु०आ० अजय पाल ।
4. मु०आ० तरुण कुमार सिंह ।
5. क०आ० प्रियांशी यादव ।
6. म०आ० अर्चना पाण्डेय ।
7. आरक्षी शमसुद्दीन ।
8. आरक्षी मोनू यादव ।
9. आरक्षी पंकज यादव ।



